

# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4

अंक 13

1-15 जुलाई 2021

₹ 20/-

## संघ प्रमुख का बयान उर्दू अखबारों की नजर में



- समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग
- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में मतभेद
- अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा
- मस्जिद को गिराना गैरकानूनी?

परामर्शदाता

डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक

मनमोहन शर्मा\*

सम्पादकीय सहयोग

शिव कुमार सिंह

कार्यालय

डी-51, प्रथम तल,  
हौज खास, नई दिल्ली-110016  
दूरभाष: 011-26524018

E-mail:

info@ipf.org.in  
indiapolicy@gmail.com

Website:

www.ipf.org.in

मुद्रक-प्रकाशक: मनमोहन शर्मा द्वारा  
भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी-51,  
प्रथम तल, हौज खास, नई  
दिल्ली-110016 से प्रकाशित तथा साईं  
प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए-102/4, ओखला  
इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई  
दिल्ली-110020 मुद्रित

\* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

## अनुक्रमणिका

सारांश	03
<b>राष्ट्रीय</b>	
संघ प्रमुख का बयान उर्दू अखबारों की नजर में	04
सामान नागरिक संहिता लागू करने की मांग	14
विवादों में उर्दू शायर मुनव्वर राना	16
मौलाना सैयद अरशद मदनी अमीर-उल-हिंद निर्वाचित	19
आतंकी की सहायता के लिए जमीयत उलेमा मैदान में	21
<b>विश्व</b>	
अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा	23
पाकिस्तान द्वारा बलूच पृथकतावादियों से वार्ता	25
पाकिस्तान अफगानिस्तान शरणार्थियों के दाखिले से परेशान	26
नाइजीरिया में स्कूल पर इस्लामिक आतंकवादियों का हमला	27
पाकिस्तान और तालिबान चीनी मुसलमानों के उत्पीड़न क समर्थन में	29
<b>पश्चिम एशिया</b>	
संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में मतभेद	30
संयुक्त अरब अमीरात में इजरायल का दूतावास	31
सऊदी अरब द्वारा चार देशों के सफर पर प्रतिबंध	32
बिना अनुमति पवित्र स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध	32
सीरिया में प्रभाव बढ़ाने में रूस और ईरान में प्रतिद्वंद्विता	33
<b>अन्य</b>	
मस्जिद को गिराना गैरकानूनी?	34
हाफिज मोहम्मद साबरीन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक नियुक्त	35
मुख्तार अब्बास नकवी को बर्खास्त करने की मांग	36
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर	37
जमात-ए-इस्लामी की शरिया काउंसिल वेबसाइट	37

## सारांश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने हाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक समारोह में कहा कि “हिंदू मुस्लिम एकता की बात धोखा है। क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक हैं। हम सब एक ही मिट्टी में पैदा हुए हैं।” उन्होंने मॉब लिंचिंग में शामिल होने वाले लोगों की भी तीव्र आलोचना की और कहा कि ऐसी गतिविधियों में भाग लेने वाले हिंदुत्व के खिलाफ हैं। इस देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है और मजहब या पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनके इस संबोधन की राष्ट्रीय मीडिया में भले ही खूब चर्चा हो रही हो मगर उर्दू प्रेस और विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा संचालित अधिकांश समाचारपत्रों ने उनके भाषण को नजरअंदाज किया है और अगर कुछ समाचारपत्रों ने इस प्रकाशित भी किया है तो विस्तृत रूप से नहीं। अधिकांश उर्दू समाचारपत्रों ने अपने संपादकीय में सरसंघचालक को कड़े शब्दों में अपना निशाना भी बनाया है।

अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों के पलायन के बाद वहां पर गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है। तालिबान अफगानिस्तान के दो तिहाई भाग पर कब्जा कर चुके हैं। अफगानिस्तान के सैनिक भागकर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। तजाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमा को बंद कर दिया है।

बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान के बढ़ते हुए सशस्त्र संघर्ष के कारण पाकिस्तान सरकार घबरा गई है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने आजाद बलूचिस्तान के समर्थकों से वार्ता शुरू करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। गत एक दशक से बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य संगठन पाकिस्तानी सेना का सशस्त्र विरोध कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ के हजारों लोग मारे जा चुके हैं।

पाकिस्तान हो या तालिबान दोनों की ही मुस्लिम एकता की कलई पूरी तरह से खुल गई है। विश्व के लगभग सभी देश शिंजियांग प्रांत में चीन द्वारा उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न की निंदा कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान और तालिबान ने चीन सरकार के मुस्लिम उत्पीड़न का खुले शब्दों में समर्थन किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत के विधि मंत्रालय को एक मुकदमे के सिलसिले में यह निर्देश दिया है कि वह देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तुरंत कदम उठाए। न्यायालय का कहना है कि इस संदर्भ में हालांकि कई वर्ष पूर्व ही सरकार को सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से निर्देश दे चुका है। मगर अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। न्यायालय ने अपने इस फैसले की एक प्रति केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के सचिव को भी भिजवाई है। ताकि इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जा सके।

विवादित उर्दू शायर मुनव्वर राना फिर समाचारपत्रों की सुर्खियों में हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका परिवार सरकार का विरोध करता आ रहा है इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस जानबूझकर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके निवास स्थान पर पुलिस ने आधी रात को छापा मारा जो कि गैरकानूनी है। उन्होंने धमकी दी है कि वे अपने सभी अवार्ड सरकार को वापस कर देंगे। मगर जुल्म के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है कि मुनव्वर राना का अपने भाई के साथ संपत्ति के बटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। हाल ही में राना के बेटे तबरेज राना ने अपने चाचा और अपने चचेरे भाईयों को झूठे आरोपों में फंसाने के लिए स्वयं ही अपने उपर गोली चलवाई थी। मगर घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी ने उनके झूठ की पूरी तरह से कलई खोल दी। इस सिलसिले में जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बयानों से साफ है कि यह साजिश तबरेज राना ने रची थी।

## संघ प्रमुख का बयान उर्दू अखबारों की नजर में



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने हाल ही में एक मुस्लिम लेखक की पुस्तक का विमोचन करते हुए यह बयान दिया था कि मॉब लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते। हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है। उनके इस बयान को अधिकांश मुस्लिम समाचारपत्रों ने नजरअंदाज किया है और इसके विरोध में विभिन्न लोगों ने जो वक्तव्य दिए थे उन्हें खूब नमक-मिर्च लगाकर अपने पाठकों को परोसा है।

**इंकलाब** (5 जुलाई) के अनुसार मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित डॉ. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक 'द मोटिंग ऑफ माइंड्स: अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव' का विमोचन करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व के खिलाफ है। भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। चाहे उनका संबंध किसी भी

मजहब से हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात से भ्रांति उत्पन्न होती है क्योंकि वे दोनों एक ही हैं अलग-अलग नहीं। उपासना की पद्धति के आधार पर लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती और न ही उन्हें एकजुट करने में सहायक बन सकती है। लेकिन यह एकता में पलीता लगाने का काम कर सकती है। एकता का आधार राष्ट्रभक्ति और अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। सरसंघचालक ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। इस पर हिंदुओं या मुसलमानों का वर्चस्व नहीं हो सकता। सिर्फ भारतीय ही वर्चस्व प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मॉब लिंचिंग में लिप्त हैं वे हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि मजहब की

बात छोड़ दें तो सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक ही है। अगर कोई हिंदू यह कहता है कि किसी मुसलमान को भारत में नहीं रहना चाहिए तो वह हिंदू नहीं है। गाय एक पवित्र पशु है मगर जो इसकी रक्षा के नाम पर हत्या कर रहे हैं, वह गलत है। हत्या कर रहे हैं वे इसके खिलाफ है। उनके खिलाफ कानून को बिना किसी भेदभाव के काम करना चाहिए।

**रोजनामा सहारा** (5 जुलाई) ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित एक समाचार में कहा है कि आरएसएस के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने गाजियाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए पूरी तरह से एक है चाहे उनका संबंध किसी भी मजहब से हो। मुसलमानों को कतई इस डर क फरेब में नहीं पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान में वे खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में उनकी उपासना पद्धतियों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मारने की प्रवृत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हालांकि कुछ लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। सरसंघचालक ने कहा कि भारत को विश्व गौरव बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम आपस में एक साथ मिलकर चलें। क्योंकि अगर देश को बड़ा और शक्तिशाली बनाना है तो सभी को एक साथ चलना होगा। मुल्क की एकता के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए एकता के आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों के बलिदान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता के लिए आपसी बातचीत जरूरी है। आज जा कार्यक्रम शुरू किया गया है वह इस दिशा में एक शुरुआत है। उन्होंने

कहा कि हिंदू-मुस्लिम एकता की बात एक धोखा है क्योंकि वे दोनों अलग नहीं हैं बल्कि एक ही हैं। हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए हैं। हम एक लोकतंत्र में हैं। यहां हिंदू या मुसलमान के सत्तारूढ़ होने का सवाल नहीं है बल्कि भारतीयों के सत्तारूढ़ होने का सवाल है। मोहन भागवत ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि वे इस कार्यक्रम में अपनी छवि को बेहतर बनाने या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि संघ न तो राजनीति में है औ न ही वह अपनी छवि को बेहतर बनाने या उसे बनाए रखने की ही चिंता करता है। संघ सिर्फ राष्ट्र को शक्तिशाली और समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है। हम वोटों की राजनीति में नहीं पड़ते। मुल्क में क्या होना चाहिए उसके बारे में हमारी कुछ राय है।

सरसंघचालक ने अपने आधे घंटे के संबोधन में मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ क्या है यह लोगों को पिछले 90 वर्षों से मालूम है। संघ अपनी छवि की चिंता नहीं करता और हम यह मानते हैं कि हमें अपने व्यक्तित्व को बदलकर लोगों में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया जो चाहे वह समझे हम अपना काम कर रहे हैं। हम जो भी करेंगे उससे सभी लोगों को लाभ होगा। इसलिए हम कभी अपनी छवि को सुधारने का न तो प्रयास करते हैं और न ही इस कार्यक्रम का आयोजन आने वाले चुनाव में मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए किया गया है। हम राष्ट्रवाद को महत्व देते हैं और हम सिर्फ देश के हित की चिंता करते हैं। जो लोग राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं हम उनकी सराहना करने के साथ-साथ उन्हें सहयोग भी देते हैं। लोगों को आपस में जोड़ने का काम राजनीति के तहत नामुमकिन है। राजनीति इस

काम का औजार नहीं है बल्कि इसे बिगाड़ने का हथियार है।

पुस्तक के लेखक ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ने अतिथियों का स्वागत करते हुए सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की सेवाओं का उल्लेख किया और हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी यह पुस्तक मुसलमानों और आरएसएस के बीच दूरी को दूर करेगी और मुसलमानों में राष्ट्रवाद के साथ-साथ गंगा जमुनी तहजीब और आपसी प्यार व मोहब्बत बढ़ेगी एवं नफरत का खात्मा होगा। 'हिंदुस्तान फस्ट हिंदुस्तानी बेस्ट' के शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति जमीरुद्दीन शाह, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी, आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक डॉ. मोहम्मद शेख अकील अहमद, हैदराबाद उर्दू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. फिरोज बख्त अहमद, दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. इतैजा करीम आदि ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। मोहम्मद अफजल ने सभा का संचालन किया। इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हाफिज मोहम्मद साबरीन, डॉ. इमरान चौधरी, बिलालुर्रहमान, मौलाना सहैब अहमद कासमी, इस्लाम अब्बास, डॉ. माजिद अली आदि प्रमुख लोग उपस्थित थे।

### **प्रतिक्रिया**

मोटे तौर पर उर्दू के मुस्लिम समाचारपत्रों ने डॉ. मोहन भागवत के संबोधन को प्रमुखता से नहीं प्रकाशित किया। सिर्फ दिल्ली से प्रकाशित उर्दू

समाचारपत्र **सहाफत** ने इसे 5 जुलाई के अंक में मुख्य समाचार के रूप में प्रकाशित किया। अन्य समाचारपत्रों ने आमतौर पर इसे एक या दो कॉलमी शीर्षक देकर ही निपटा दिया। जिन 61 उर्दू समाचारपत्रों का विश्लेषण किया गया है उनमें 48 मुसलमानों द्वारा संचालित समाचारपत्र हैं। इनमें से 16 समाचारपत्रों ने भागवत जी के भाषण पर समाचार को प्रकाशित किया। जबकि 7 समाचारपत्रों ने अपने संपादकीय में उन्हें कड़े शब्दों में निशाना बनाया है। शेष हिंदुओं द्वारा संचालित 15 उर्दू समाचारपत्रों में से सात ने उनके भाषण को प्रकाशित किया है जबकि तीन ने उस पर संपादकीय भी लिखा है। जिन उर्दू समाचारपत्रों ने उनके भाषण को प्रकाशित भी किया है उन्होंने अगले दिन 6 जुलाई के अंक में अंदर के पृष्ठों में दो कॉलमी शीर्षक से प्रकाशित किया। जहां तक उर्दू में प्रकाशित होने वाले हिंदू समाचारपत्रों का संबंध है उन्होंने भी इस समाचार को खास महत्व नहीं दिया। हालांकि उन्होंने अपने संपादकीय में मोहन भागवत के भाषण पर सकारात्मक ढंग से टिप्पणी जरूर की है। जहां तक उनके भाषण पर प्रतिक्रियाओं का संबंध है अधिकांश नेताओं की टिप्पणियां आलोचनात्मक थीं। कुछ समाचारपत्र तो इस संबंध में निरंतर विरोधी अभियान चला रहे हैं और आलोचनात्मक लेख प्रकाशित कर रहे हैं।

हैदराबाद से प्रकाशित **सियासत** ने 6 जुलाई के संपादकीय में मोहन भागवत और संघ दोनों को अपना निशाना बनाया है। समाचारपत्र ने लिखा है, "आरएसएस के प्रमुख भी अब मुसलमानों को रिझाने की कोशिश शुरू कर चुके हैं। हिंदुस्तान में संघ ही वह संगठन है जिसके कार्यकर्ताओं ने अब तक देश भर में मुसलमानों को अपना निशाना बनाया है, उनके खिलाफ विषवमन किया है और

देशवासियों को उनके खिलाफ भड़काया है। मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही करार देने का हर संभव प्रयास किया गया है। संघ से संबंधित संगठन ही मुसलमानों की आबादी पर सवाल करती हैं। उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित करने की बातें कही जाती हैं। गोरक्षक आतंकवादियों की ओर से मुसलमानों की हत्या की जाती है। मुसलमानों की हत्या करने वालों को महिमामंडित किया जाता है और उन्हें पदों से नवाजा जाता है। मगर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत को मुसलमानों से हमदर्दी होने लगी है। उन्होंने इस हमदर्दी की अभिव्यक्ति भी आरएसएस के संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक समारोह में की है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वह संगठन है, जिसके प्रमुख का नाम हैदराबाद के इतिहासिक मक्का मस्जिद में हुए बम धमाकों में सामने आया था। अब मोहन भागवत का यह कहना कि हिंदू-मुस्लिम एकता का शब्द ही गलत है क्योंकि तमाम हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। उपासना के विभिन्न तरीकों के आधार पर किसी से मतभेद नहीं किया जा सकता। जो लोग यह कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में न रहें, वे हिंदू नहीं हैं। संघ के प्रमुख ने मुसलमानों को ताकीद की है कि वे भय के वातावरण में न रहें। आरएसएस प्रमुख का यह भाषण दरअसल उत्तर प्रदेश और देश के चार अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभाई चुनाव से पूर्व वातावरण को बेहतर बनाने की कोशिश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब ऐसे ही भाषणों की आशा प्रधानमंत्री मोदी से भी की जा सकती है। वे भी मीठी-मीठी बातें कर सकते हैं।”

“चुनाव के दौरान मुसलमानों को गुमराह कराने और अपनी छवि को चमकाने के लिए ऐसे भाषण और भी हो सकते हैं। मगर पिछले वर्षों में

मुसलमानों को जो भयंकर अनुभव हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। स्वयं प्रधानमंत्री ने भी कभी माँब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। क्योंकि मोदी सरकार के एक मंत्री ने माँब लिंचिंग करने वालों को खुलेआम महिमामंडित किया। ऐसा करने वाले मंत्रियों के खिलाफ मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। संघ परिवार और उससे संबंधित कई संगठनों की ओर से मुसलमानों के खिलाफ बेशुमार साजिशें रची जा रही हैं। माँब लिंचिंग में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि दलितों को भी मौत के घाट उतारा गया। मोहन भागवत ने दोनों वर्गों को गुमराह करने और बेवकूफ बनाने की कोशिश की है।”

“इस बात की कोई संभावना नहीं है कि जो संगठन संघ से जुड़े हुए हैं वे संघ प्रमुख के इस भाषण को स्वीकार करेंगे। ये संगठन अपनी गतिविधियों को बराबर जारी रखे हुए हैं और उन्हें बराबर धनराशि भी मिल रही है। संघ प्रमुख ऐसी बयानबाजियों से मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उनके किराए के कार्यकर्ता हों या कोई और वे मुसलमानों में कोई वजन नहीं रखते और ऐसी कोशिशों से कोई लाभ नहीं होगा।”

**सहाफत** (6 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस द्वारा स्थापित किए गए बहुत से संगठनों में से एक है जिसका लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि आरएसएस वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है। मगर एक बात यह कही जा सकती है कि आरएसएस समर्थक मुसलमानों की सभा में भागवत ने लिंचिंग के बारे में जो कुछ कहा वह इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कहा। ऐसी स्थिति में वे सफाई पेश करके अपनी ही

छवि को दागदार कर रहे हैं। इस्लाम खतरे में है या नहीं इससे आरएसएस का कोई संबंध नहीं है। यह मुसलमानों का अंदरूनी मामला है। जहां तक याद पड़ता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कभी माँब लिचिंग की निंदा की थी। यह सफाई उन्होंने उस समय दी थी जब पश्चिमी देशों की मीडिया ने इस मामले में खूब शोर मचाया। जहां तक डीएनए वाली बात है इसे आम हिंदू या आम मुसलमान नहीं समझ सकता और न ही उन्हें समझाने की जरूरत है। कुंभ के मेले में अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के विरोध के बावजूद श्रद्धालुओं ने स्नान किया और वहां पर कोरोना फैला। जबकि दूसरे ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पांच नमाजियों से अधिक के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी। मुसलमानों के बारे में भागवत ने जो तकरीर की और जिसे अखबारों ने प्रकाशित किया वह संतोषजनक नहीं है। जरूरत इस बात की है कि भागवत के संपूर्ण भाषण को प्रकाशित किया जाए। इधर-उधर से बातें निकालकर पेश कर देने से बात नहीं बनती। लिचिंग में कितने निर्दोष मुसलमान मारे गए। क्या किसी इंसान पसंद व्यक्ति या अदालत ने उन्हें कभी मुआवजे देने की बात कही? कभी नहीं। जिन लोगों को मारा गया उन्हें उसी का हकदार करार देकर मामला खत्म कर दिया गया। क्या इस धोखे को कोई मानेगा कि माँब लिचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं? हिंदू मुस्लिम एकता की बात गुमराहपूर्ण है क्योंकि वे अलग-अलग नहीं हैं। मगर मुसलमानों से फिर सरेआम पाकिस्तान जाने के लिए क्यों कहा जाता है? क्या इसका इलाज भागवत का भाषण है? आरएसएस का राजनीति से बिल्कुल अलग होने के दावे का कोई सिर-पैर नहीं है।



**मुंबई उर्दू न्यूज (6 जुलाई)** ने 'मोहन भागवत की बातें' शीर्षक से अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वह लोगों के गले से नहीं उतर रही हैं। क्योंकि अब संघ प्रमुख कुछ नया नहीं बल्कि बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं। उन्होंने गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ही गलत है। क्योंकि ये दोनों अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। हर हिंदुस्तानी का डीएनए एक जैसा है। उनकी इस कायापलट के बारे में जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महानों में चुनाव होने वाले हैं और कोरोना से निपटने में जो बदइंतेजामी हुई है उसके कारण वातावरण आरएसएस के जबरदस्त खिलाफ है। इस बात ने आरएसएस और उससे संबंधित संगठनों को चिंता में डाल दिया है। इसलिए उनके स्वर कुछ बदले बदले नजर आते हैं। भागवत ने जो बातें कही हैं उससे पता चलता है कि आरएसएस बीजेपी के बारे में काफी चिंतित है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की छवि बहुत खराब हो रही है। ऐसे हालात में आरएसएस के प्रमुख का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को संबोधित करना अपने आप में यह जाहिर करता है कि भागवत जी इन हालातों से परेशान हैं। उनकी



ये बातें बसपा की प्रमुख मायावती तक के गले से नहीं उतर रही हैं। एमआईएम क असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि ये नफरत तो हिंदुत्व वालों की ही देन है। मायावती ने तो इनकी बातों को मुंह में राम बगल में छुरी बताया है। केन्द्र और उत्तर प्रदेश सहित जिन राज्यों में भाजपा का शासन है वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं बल्कि आरएसएस के घटिया एजेंडे के अनुसार चलाया जा रहा है, जिसके कारण समाज और देश में हर तरफ बेचैनी, हिंसा, तनाव और अफरातफरी का माहौल है। राजनीति की सूझबूझ रखने वाले लोगों का कहना है कि आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठन अपने एजेंडे के तहत काम करते रहते हैं।

भागवत एक विशेष लक्ष्य के कारण यह नई बातें कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आरएसएस के संगठन भी उनके प्रवचन को गंभीरता से लें। पहले से ही हिंदुत्ववादी अपने अलग नैरेटिव पर चल रहे हैं। देश में यह प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमान देश की आबादी बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं। वे अपनी आबादी बढ़ाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे सोशल मीडिया द्वारा लाखों लोगों तक निरंतर परोसा जा रहा है। इसी तरह से गोरक्षा के बहाने मुसलमानों की खुलेआम हत्या करके उनमें खौफ पैदा किया जा रहा है। मुसलमानों के हत्यारों के खिलाफ आरएसएस और बोजेपी की निगरानी में चलने वाली सरकारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तरह से धर्मांतरण की आड़ लेकर मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। एसी हालत में भागवत की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आरएसएस की यह परंपरा रही है कि वह जुबान बदल-बदलकर नफरत फैलाती रही है। मुसलमानों

के खिलाफ नफरत फैलाने का काम वह 1925 से करती आ रही है। ऐसे लोगों पर इतनी जल्दी कैसे विश्वास किया जा सकता है?

**हमारा समाज** (7 जुलाई) के संपादकीय का शीर्षक है, 'आरएसएस की पैतरेबाजी'। संघ यह दावा करता है कि वह समाज का नवनिर्माण कर रहा है और राजनीति से स्वयं को दूर रखता है। हालांकि यह हकीकत है कि वह सेक्युलर भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहता है और इस लक्ष्य के तहत उसके प्रचारक दिन-रात काम में लगे रहते हैं। साथ ही राजनीति में भी उनका दखल बढ़ रहा है। अब एक बार फिर अपन ताजा बयान से संघ के सरसंघचालक घिरे हुए नजर आ रहे हैं और हिंदुओं और मुसलमानों में चर्चा का केन्द्र बने हुए हैं। कुछ लोगों को उनका बयान एक सोची-समझी चाल लग रही है तो कुछ इसे सामान्य बयानबाजी करार दे रहे हैं। वहीं एक वर्ग इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व मुसलमानों के तुष्टीकरण की संज्ञा दे रहा है। इनके बयान से साफ लगता है कि व मुसलमान के हमदर्द नहीं बल्कि राजनीतिक हितों के कारण उनका इस्तेमाल करने वाले हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि अगर भागवत को यह महसूस हो रहा है कि मुसलमानों की लिचिंग हो रही है तो इससे पहले उन्होंने कभी भी खुलकर इसकी निंदा करने की जरूरत क्यों नहीं समझी? जो लोग निर्दोष होने के बावजूद जेलों में बंद हैं उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का संघ को कभी ख्याल क्यों नहीं आया? मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उस पर वे सच्चे दिल से अमल करके दिखाएं। प्रेक्षकों का कहना है कि आरएसएस प्रमुख ने अब जो कुछ कहा है उसका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए



माहौल बनाना है। पिछले पांच वर्षों से मुसलमानों को गद्दार करार देकर दबाया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए यूएपीए जैसे काले कानून भी बनाए गए हैं। इसके बाद से एक विशेष मजहब के लोगों को जेलों में पहुंचाने का काम जारी है। यानी आप कह सकते हैं कि मुसलमानों को ही बली का बकरा बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है।

संघ प्रमुख लाख भाषण दें और मुसलमानों के लिए लच्छेदार भाषण करें मगर इससे उनकी और उनक संगठन की छवि साफ नहीं होती। इस देश में मुसलमान और हिंदू सदियों से भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं मगर अब उनके बीच दरार और नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा ह? देखा जाए तो न जाने क्यों पिछले पांच-सात वर्षों में इस देश में दोनों सम्प्रदायों में नफरत बढ़ी है। लोगों के कानों तक ऐसे बयान पहुंचाए जा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है इसलिए हिंदुओं को अब ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। ऐसे बयानों का संघ ने कभी

खंडन नहीं किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि संघ प्रमुख के हाल का बयान और दूसरी ओर मुसलमानों के साथ नफरत वाली घटनाओं पर खामोशी उसकी भूमिका पर अंगुली उठाने पर मजबूर करती है। संघ प्रमुख यह विश्वास दिलाने में असफल रहे हैं कि संघ की भूमिका एक विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है आर यह देश के नवनिर्माण के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाला एक संगठन है।

**इंकलाब** (6 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि क्या आज तक कभी मोहन भागवत ने किसी दंगों में मुसलमानों की हत्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी? हैरानी की बात यह है कि आज तक इस मुल्क में मुसलमानों के लिए होने वाले खतरों का जिक्र करने की बजाय इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। कभी लव जिहाद का बहाना बनाकर, कभी जबरन धर्मांतरण की कहानियां सुनाकर, कभी जमीन जिहाद, कभी नौकरशाही जिहाद का बहाना

बनाकर हिंदुओं के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि हिंदू और हिंदुत्व खतरे में हैं। हमारा ख्याल यह है कि यह कहने की बजाय कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है भागवत जी को यह कहना चाहिए था कि हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है और उसके खतरे का सब झूठा प्रोपगंडा है। हैरानी की बात यह है कि आरएसएस वाले बातें तो एकता, शांति और अमन की करते हैं मगर जब उनको कार्यान्वित करने की बात आती है तो वे शस्त्रों की पूजा करते नजर आते हैं।

हिंदुओं द्वारा प्रकाशित होने वाले हिंदू समाचार ने 6 जुलाई के अंक में मोहन भागवत के बयान को हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में जोड़ने वाला करार दिया है और कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा दोनों सम्प्रदायों के बीच दूरी को पाटने की कोशिश कर रहा है। उसकी मान्यता है देश पहले मजहब बाद में। मोहन भागवत ने सही कहा है कि मुसलमानों को डर के इस जाल में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उनके इस डर को खत्म करने की जरूरत है कि संघ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का एक मात्र हल बातचीत है। अब हमें भाषा, प्रदेश और अन्य मतभेदों को भूलाकर एकजुट होना चाहिए ताकि भारत विश्वगुरु बन सके।

भागवत के इस बयान पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है आर समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख के बयान की निंदा की है। जबकि केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भागवत के बयान का समर्थन किया है। भागवत

के इस बयान से दोनों समुदायों के बीच संबंध और मजबूत होने की आशा की जानी चाहिए।

**सहाफत** (10 जुलाई) के अनुसार इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद सलमान ने सुझाव दिया है कि मोहन भागवत को चाहिए कि वे मॉब लिंचिंग की आलोचना करने की बजाय अपनी सरकारों को यह निर्देश दें कि वे इसके खिलाफ कानून बनाएं और उसे हर हाल में रोकें। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दल सत्ता में हैं वहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को जनता का डीएनए एक हो सकता है लेकिन अलग-अलग धर्मों को मानने वाले हिंदू नहीं हो सकते। हर एक को अपनी मजहब के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा हक हासिल है। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं उन राज्यों में नहीं होती जहां बीजेपी या उनकी सहयोगी पार्टियों की सरकारें नहीं हैं? ऐसी स्थिति में मोहन भागवत का यह बयान की मॉब लिंचिंग गलत है सिर्फ यह कह देने से जनता की संतुष्टि नहीं हो सकती। अगर उन्हें मॉब लिंचिंग गलत लगती है तो उन्हें देश के प्रधानमंत्री को यह निर्देश देना चाहिए कि वे मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाएं। मोहम्मद सलमान ने यह भी कहा है कि सरकार की नीतियों या राजनीतिक विचारधारा का विरोध करना या इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना देशद्रोह नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे लोगों को राष्ट्र विरोधी कहकर जेल में डाल दिया गया और उन पर गंभीर धाराएं लगा दी गईं। सरकार के दबाव के कारण उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई भी नहीं हो रही है।

**इंकलाब** (6 जुलाई) के अनुसार वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि मोहन भागवत का बयान जनता को गुमराह करने वाला और अपनी छवि को सुधारने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए आरएसएस की दागदार छवि को सुधारने की कोशिश की है। भाजपा के सत्ताकाल में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से नफरत और उतेजनात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। चुनावी रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में जहर भरने की कोशिश हो रही है। कभी गोहत्या और कभी लव जिहाद के नाम पर देश भर में उन्हें भीड़ द्वारा मारकर मौत के घाट उतारने की घटना निरंतर हो रही हैं आर उनकी नागरिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जो नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं इससे देश की तस्वीर विश्व भर में दागदार हुई है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा और आरएसएस को एक हिंसक, लोकतंत्र विरोधी और फासीवादी संगठन माना जा रहा है। मोहन भागवत ने अपने बयान में यह माहौल बनाने की कोशिश की है कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का वातावरण तैयार कर रहे हैं या उसकी मॉब लिंगिंग कर रहे हैं या उन्हें देश से बाहर भेजने के दावे कर रहे हैं वे हिंदुत्व के विरोधी हैं। उन्होंने लोगों में यह भ्रांति पैदा करने की कोशिश की है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वह गलत है और यह सब राजनीति के कारण हो रहा है। फिर उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए वार्ता शुरू करने पर भी जोर दिया है। डॉ. इलियास ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस

की विचारधारा एक ही है। अगर मोहन भागवत वास्तव में देश का विकास और कल्याण चाहते हैं तो उन्हें भाजपा और अपने सभी संगठनों की मुस्लिम विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगानी चाहिए।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार मोहन भागवत के बयान का अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेन्द्र गिरी ने स्वागत किया है और कहा है कि क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा ही है इसलिए अखाड़ा परिषद उनकी घर वापसी का अभियान चला रही है। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि संघ और भाजपा के बड़े-बड़े नेता क्योंकि अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से करते हैं तो उनका डीएनए कैसे अलग सकता है? राजभर ने यह भी आरोप लगाया कि गोवध करने वालों में सबसे अधिक लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग समाज में फूट डालते हैं और मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा के झांसे में न आएं। यह देश सभी लोगों का है और रहेगा।

इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने मोहन भागवत के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि उन्हें मुसलमानों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर रूप से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका यह ताजा बयान सकारात्मक, व्यापक और तथ्यों पर आधारित है। मेरा विश्वास रहा है कि जो लोग सत्ता में हों उनसे मुसलमानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करना चाहिए। यह

सरकार का कर्तव्य है कि वह अल्पसंख्यकों की गलतफहमियों को दूर करे और उनकी समस्याओं का समाधान करे। यही बात मोहन भागवत जी ने भी कही है। उनका यह कहना सही है कि भारत में न इस्लाम खतरे में है और न ही मुसलमान। इसका सबूत और जमानत हमारा संविधान है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी मोहन भागवत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अगर जबरन धर्मांतरण कराना गैरकानूनी है तो इसकी आड़ में योजनाबद्ध ढंग से अपना एजेंडा चलाना भी गलत बात है। उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में है वहां पर शासन को संविधान के अनुसार चलाने की बजाय आरएसएस के एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। संघ प्रमुख के कथनी और करनी में आकाश-पाताल का अंतर है। इसके कारण इस देश में जात-पात, राजनीतिक द्वेष, साम्प्रदायिक हिंसा में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वे उन्हें भाजपा की हुकूमतों में भी लागू नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए भाजपा साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का रही है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोहन भागवत के बयान पर एक ट्विट में कहा है कि आपने जो प्रवचन दिया है उसका क्या आपके शिष्य, संघ के प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी अनुसरण करते हैं? क्या इस संबंध में आप अपनी ही विचारधारा के मोदी, अमित शाह और भाजपा के मंत्रियों को भी ईमानदारों से लागू करने का निर्देश देंगे?

**इंकलाब** (7 जुलाई) के अनुसार शिया विद्वान मौलाना कल्बे जवाद ने अपने एक वक्तव्य

में मोहन भागवत के वक्तव्य का स्वागत किया है और कहा है कि मॉब लीचिंग किसी भी समाज के लिए धब्बा है। इसलिए मोहन भागवत को इस महामारी पर काबू पाने के लिए देश भर में माहौल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मानव जाति आदम और हौव्वा की संतान हैं इसलिए हमारा डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत एक महान हस्ती हैं, जिनका संगठन आरएसएस पूरे देश में फैला हुआ है। वे चाहें तो मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसका समाधान कर सकते हैं। आज देश में भाईचारे और साम्प्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की बहुत जरूरत है ताकि हमारा देश सुदृढ़ बन सके। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि संघ शुरू से भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उसका यह प्रयास है कि मुसलमान अपनी अलग पहचान को छोड़कर हिंदुत्व की धारा में शामिल हो जाएं। मोहन भागवत का यह बयान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

**इत्तेमाद** (6 जुलाई) के अनुसार मजलिस-इतेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भागवत जनता को गुमराह कर रहे हैं। जिन लोगों ने गोवध की आड़ में जुनैद, अखलाक, पहलू, अलीमुद्दीन वगैरह की हत्या की थी उन्हें हिंदुत्व की सरकार का समर्थन प्राप्त है। गोरक्षा की आड़ में मुसलमानों के शिकार का जो सिलसिला 2015 में मोहम्मद अखलाक के बेरहमाना कत्ल से शुरू हुआ था वह आज भी जारी है। आसिफ के कातिलों के समर्थन में मेवात में महापंचायत बुलाने वाले कौन थे? ओवैसी ने कहा कि बुजदिली, हिंसा और हत्या गोडसे के हिंदुत्व की विचारधारा का अटूट हिस्सा है।

**कौमी तंजीम** (6 जुलाई) के अनुसार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महामंत्री डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा है कि हम यह आशा करते हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में जो अंतर है वह मोहन भागवत के इस बयान से दूर हो जाएगा। अभी तक संघ परिवार का रूख उन

तत्वों के पक्ष में रहा है जो कि गोहत्या की आड़ में मुसलमानों को अपना निशाना बनाते रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मोहन भागवत जी ने जो वायदा किया है उसे कार्यान्वित किया जाए। इसी में देश की तरक्की हो सकती है। ■

## सामान नागरिक संहिता लागू करने की मांग



**इंकलाब** (10 जुलाई) के अनुसार देश में फिर एक बार सामान नागरिक संहिता की चर्चा गम हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश प्रतीभा सिंह ने एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि सामान नागरिक संहिता को देश में लागू करने का यही समय है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज अब समता की ओर बढ़ रहा है। समाज में जात-पात, धर्म और वर्ग से जुड़ी हुई रूकावटें मिटती जा रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भारतीय संविधान की धारा 44 के अंतर्गत सामान नागरिक संहिता को लागू करने के

लिए कदम उठाए जाएं। न्यायाधीश ने कहा कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी एक निर्देश के तीन दशक गुजरने के बावजूद भी उसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

इस संदर्भ में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुहेल ऐजाज सिद्दीकी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में सामान नागरिक संहिता को लागू करने का उल्लेख है। इसलिए उच्च न्यायालय ने कोई नई बात नहीं कही है। अब सरकार को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सामान नागरिक संहिता लागू किया जाए। अब केन्द्र

सरकार को चाहिए कि वह लोगों से बातचीत करके इस दिशा में कदम उठाए। मगर इसे लागू करने में अनेक कठिनाईयां हैं। जैसे देश में हिंदू लॉ है। उसके अनुसार उत्तर भारत में सहगोत्री शादी नहीं हो सकती। लेकिन दक्षिण भारत में सगी भांजी से मामा की शादी करने को सबसे बेहतर माना जाता है। ऐसे रस्मों-रिवाज हैं जिससे समान नागरिक संहिता को लागू करने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर विवाद है उन्हें आने वाली नस्लों के लिए छोड़ दिया जाए और जिन बातों पर सहमति है उन्हें लागू किया जाए। भारतीय संविधान में इसका निर्देश है इसलिए इस दिशा में कोशिश होनी चाहिए। धार्मिक नेताओं से वार्ता करके सरकार को कोई रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि समान नागरिक संहिता को सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों जोड़ दिया जाता है? तो न्यायमूर्ति सिद्दीकी ने कहा कि यह सच है कि जब भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात होती है तो हमारे मुस्लिम भाई सक्रिय हो जाते हैं। इसके कारण सारा आरोप उन पर लग जाता है। अगर वे धीरज से काम लें तो यह बिना वजह आरोप उन पर न लगे।

न्यायमूर्ति सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमानों में उचित लीडरशिप नहीं है। हर मुसलमान स्वयं लीडर बना हुआ है। इसलिए लोगों के लिए यह आसान है कि वह कोई भी आरोप मुसलमानों पर थोप दें। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष नावेद हामिद ने कहा कि राष्ट्रीय विधि आयोग यह स्पष्ट रूप से कह चुका है कि इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करना संभव नहीं है। यह मामला मुसलमानों का नहीं। सवाल यह है कि आखिर कौन सी समान नागरिक

संहिता लागू की जाएगी? जो काम संसद का है उस पर न्यायपालिका कैसे टिप्पणी कर सकती है? यह तो दिशा-निर्देशों का मामला है। जिस न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है उन्हें देश में मद्य निषेध को लागू करने के बारे में भी बोलना चाहिए। लेकिन इस पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि शराबबंदी लागू करने से कॉर्पोरेट हाउस प्रभावित होंगे। इस समय इस देश में जो सरकार है वह विचाराधारात्मक सरकार चला रही है, जिसके तहत शराब पीना अच्छी आदत नहीं है। इसके बारे में न्यायाधीश की क्या राय है? हामिद ने यह संदेह व्यक्त किया कि यह टिप्पणी एक खास एजेंडे के तहत की गई है और इसके तार कहीं और से जुड़ हुए हैं।

**इत्तेमाद** (10 जुलाई) के अनुसार 1985 के शाहबानो केस का उल्लेख करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की धारा 44 में जिस आशा की अभिव्यक्ति की गई है कि सरकार अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी। क्योंकि इससे कौमी एकता और सिविल लॉ के बारे में मतभिन्नता का अंत हो जाएगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का उल्लेख किया है। उसे लागू करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस निर्णय की एक कॉपी केन्द्रीय न्याय एवं विधि मंत्रालय के सचिव को भी भेजी जाए ताकि वह इस संदर्भ में उचित कदम उठा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि क्या मीणा जाति से संबंधित व्यक्तियों के विवाह पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू नहीं होता? जब पति ने तलाक की


याचिका दायर की तो पत्नी ने उसका विरोध करते हुए कहा कि उनके विवाह पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू ही नहीं होता। क्योंकि उनका संबंध मीणा जाति से है जो कि राजस्थान में आदिवासी जातियों की सूची में शामिल हैं। न्यायालय ने पत्नी की याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि इस तरह के मामले समान नागरिक संहिता से संबंधित विसंगतियां हैं। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने यह कहा था कि उनका विवाह हिंदू परंपराओं के अनुसार हुआ है और वे हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं। शादी के कार्ड से

लेकर कई पक्षों की जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चलता है कि यह विवाह हिंदू परंपराओं के अनुसार ही हुआ था और यह मुकदमा भी घरेलू हिंसा कानून के तहत ही दायर किया गया था। न्यायालय ने कहा है कि हालांकि हिंदू की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अगर आदिवासी जाति के लोग हिंदू परंपराओं को मानते हैं तो उन पर हिंदू विवाह कानून ही लागू होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि उसके सामने जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उससे यह प्रकट होता है कि मीणा आदिवासियों की अपनी पंचायत होती है जो इस तरह के मामले से निपटती है।

## विवादों में उर्दू शायर मुनव्वर राना

उर्दू के विवादित शायर मुनव्वर राना इन दिनों एक नए विवाद में उलझ गए हैं। उन्होंने **इंकलाब** (3 जुलाई) को एक इंटरव्यू देते हुए यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ खुलकर बोला था और अपना अवार्ड भी वापस किया था इसलिए अब उनके विरोधी उनसे पुरानी रंजिश निकाल रहे हैं। मगर मैं डरने और भयभीत होने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी के सामने भी खुलकर बात की थी और कहा था कि सबका साथ सबका विकास को सिर्फ एक नारा नहीं बनाइए। इस पर कुछ काम भी कीजिए। योगी जी जब आए तो उन्होंने गोश्त का कारोबार बंद



कर दिया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इनमें हिंदू

भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से उनके घर पर आधी रात को छापा मारकर उनके परिवारजनों को पुलिस ने भयभीत और परेशान किया है।



दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह दावा किया है कि मुनव्वर राना के निवास स्थान पर पुलिस ने छापा उनके बेटे तबरेज राना की तलाश में मारा था। पुलिस का दावा है कि राना परिवार में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसी विवाद के सिलसिले में तबरेज राना ने अपने चाचा और उनके बेटों के खिलाफ रायबरेली थाने में रपट दर्ज कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उनके परिवारजनों ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया है। रायबरेली के पुलिस आयुक्त अशोक कुमार ने यह दावा किया है कि पुलिस की जांच से यह साबित हुआ है कि तबरेज राना ने अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए स्वयं ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में उन्होंने अपने चाचा और उनके बेटों को आक्रमणकारी बताया था। मगर पुलिस की जांच से उनके झूठ की कलई खुल गई।

समाचारपत्र ने कहा है कि मुनव्वर राना का आरोप है कि आधी रात को लखनऊ स्थित उनके मकान पर जो छापा मारा गया था वह राजनीतिक बदले की भावना से मारा गया था। क्योंकि उनकी बेटियों ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। पुलिस के इस छापे का एक वीडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। रायबरेली के पुलिस आयुक्त ने यह दावा किया है कि इस हमले के सिलसिले में जो चार लोग पकड़े गए हैं उनमें सत्येन्द्र और शंभु दोनों शार्प शूटर हैं। जबकि अलीम और सुल्तान दोनों तबरेज के दोस्त हैं और यह फर्जी हमला तबरेज ने ही स्वयं पर करवाया था। क्योंकि वह इस हमले की आड़ लेकर अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाना चाहता था और

अपने लिए पुलिस का सुरक्षा कवच चाहता था। इसलिए पुलिस तबरेज राना को गिरफ्तार करना चाहती है।

दूसरी ओर तबरेज की बड़ी बहन और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राना का आरोप है कि पुलिस उनके माता-पिता और भाई को इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि उनका परिवार सरकार और मुख्यमंत्री के उत्पीड़न और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस संदर्भ में न्यायालय की शरण लेंगे। मुनव्वर राना का आरोप है कि उन्होंने पुलिस की ऐसी गुंडागर्दी की कल्पना कभी नहीं की थी। उनके घर पर जब छापा मारा गया तो उस छापे के लिए पुलिस के पास कोई सर्च वारंट नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी जमीन व जायदाद का लालच नहीं है। मैंने अपने भाईयों को पाला-पोसा और अपनी कमाई से संपत्ति बनाई, कारोबार खड़ा किया। अब उन्हीं भाईयों की नीयत खराब हुई है और व उनकी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने यह बताया कि यह वही जमीन है जिसको मैंने बाबरी मस्जिद के विवाद के समय मस्जिद के लिए देने की पेशकश की थी। बरसों पहले मैंने इसे डेढ़ लाख रुपये में खरीदा था मगर अब इसकी कीमत करोड़ों में है और इस पर मेरे भाईयों को नजर लगी हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस जो चाहे वह करे मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मं फकीरी की जिंदगी गुजारता हूँ। मगर मैं जिद्दी भी हूँ। मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगा और न्यायालय का सहारा लूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने गुंडागर्दी से काम लेकर उनके घर पर आधी रात को छापा मारा है उसके बाद उन्हें प्रशासन से किसी भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है।

**इंकलाब** (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में इस आरोप की पुष्टि की है कि पुलिस ने जानबूझकर राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए मुनव्वर राना के मकान पर आधी रात को छापा डाला था। समाचारपत्र ने कहा है कि हम यकीन के साथ यह बात कह सकते हैं कि अगर क्षेत्र के थाना इंचार्ज मुनव्वर राना को फोन करके कह देते कि वे तबरेज राना को थाना लेकर आए तो मुनव्वर खुद ही अपने बेटे को उसका हाथ पकड़कर थाने पहुंचा देते। क्योंकि वे खुद कानून के एक पाबंद इंसान हैं। राष्ट्र ख्याति के एक व्यक्ति के घर आधी रात को छापा मारना उत्तर प्रदेश पुलिस को किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। हमें नहीं मालूम की तबरेज राना पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। मगर इस केस में जो मुजरिम बनाए गए हैं उनमें तबरेज का नाम नहीं है। इसके बावजूद आधी रात को तबरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारना किसी भी तरह से जायज नहीं है।

**अवधनामा** (3 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल के कुछ वर्षों में मुनव्वर राना की शख्सियत विवादित हुई है। कभी वे अपने बयानों के कारण समाचारपत्रों की सुर्खियों में रहते हैं और कभी अपनी बेटे की राजनीतिक गतिविधियों की तरफ से वे चर्चा में आ जाते हैं। अब एक नया विवाद उनसे जुड़ गया है। उनके बेटे तबरेज पर आरोप है कि उसने स्वयं ही अपने पर गोली चलवाकर अपने चाचा को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की है। मुनव्वर राना और उनके भाई-भतीजों में रायबरेली में संपत्ति का विवाद चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि वे रायबरेली में अपनी भूमि को मस्जिद बनाने के लिए देने को तैयार हैं मगर फिर वे चुप हो गए।

हाल का विवाद उनके बेटे तबरेज से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक जमीन का प्लॉट 85 लाख रुपये में बेच दिया है, जिसमें उनके चाचा का भी हिस्सा था। इस मामले में उनके चाचा और उनके चचेरे भाईयों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। एक पेट्रोल पंप पर तबरेज राना पर हमला होता है और व उसमें अपने चाचा और उनके बेटों को दोषी ठहराते हैं। मगर जांच के बाद रायबरेली पुलिस यह कहती है कि यह मामला तबरेज राना ने फर्जी दर्ज करवाया है और उसने अपने चाचा और उनके बेटों को फंसाने के लिए स्वयं ही अपने उपर फायरिंग करवाई थी। यह सारा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। तबरेज जैसे आदमी ने यह नहीं सोचा कि आजकल हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और वह उनसे बच नहीं सकेगा और ये कैमरे सारी घटना की सच्चाई की परतें खोल कर रख देंगे। पुलिस का दावा है कि रायबरेली के ओम क्लार्क्स होटल में गोली चलाए जाने की घटना से चार घंटे पूर्व मुनव्वर राना के बेटे ने उनलोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने उस पर गोली चलाई थी। इसमें जो दो लोग पकड़े गए हैं वे शार्पशूटर हैं और वे कई बार जेल जा चुके हैं। मुनव्वर राना एक बार फिर मुसीबत में फंसत नजर आ रहे हैं।

**टिप्पणी** : जहां तक मुनव्वर राना का संबंध है वे प्रारम्भ से ही विवादों में घिरे रहे हैं। पिछले वर्ष जब हजरत मोहम्मद के कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में एक स्कूल टीचर की उसके छात्र ने तलवार से गला काट कर हत्या कर दी थी तो इस घटना को मुनव्वर राना ने जायज ठहराया था। उनका कहना था कि मजहब मां जैसा है। अगर कोई आदमी किसी की मां का या मजहब का कार्टून बनाता है या उसे गाली देता है तो गुस्से

में अगर कोई ऐसे व्यक्ति की हत्या करता है तो वह जायज है। उनका कहना था कि मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया था और किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह हत्या करने पर मजबूर हो जाए। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ था और उनके खिलाफ लखनऊ के हजरत गंज थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी।

इसी वर्ष किसान आंदोलन के समर्थन में मुनव्वर ने ट्विटर पर एक शेर लिखते हुए संसद को गिराकर वहां पर खेत बनाने की बात कही थी और सेठों के गोदामों को आग लगा देने की बात कही थी। जब इस पर विवाद हुआ तो बाद में उन्होंने अपना यह ट्विट डिलिट कर दिया। नागरिकता कानून के दौरान हुए आंदोलन का

उल्लेख करते हुए मुनव्वर राना ने कहा था कि उन्हें योगी के राज में यूपी में डर लगने लगा है और बीजेपी का लक्ष्य मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सीएए-एनआरसी के विरोध में आंदोलन के सिलसिले में मुनव्वर राना और उनकी बेटियां भी समाचारपत्रों के सुर्खियों में रही थीं। अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी उनकी टिप्पणी से नहीं बच सका और उन्होंने कह डाला कि इस मामले में हिंदुओं का पक्ष लिया गया है। इससे पूर्व जब दादरी में अखलाक नामक एक व्यक्ति की हत्या की गई थी तो इसके खिलाफ देश भर में जो बवाल मचा था और कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा अवार्ड वापस भी किया गया था उसमें मुनव्वर राना भी अपने अवार्ड वापस करके चर्चा में आए थे।

## मौलाना सैयद अरशद मदनी अमीर—उल—हिंद निर्वाचित

हमारा समाज (4 जुलाई) के अनुसार इमारत-ए-शरिया हिन्द की कार्यसमिति व जमीयत उलेमा-ए-हिंद के एक संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में मौलाना सैयद अरशद मदनी को अमीर-उल-हिन्द और मुफ्ती मोहम्मद सलमान मंसुरपुरी को नायब अमीर-उल-हिंद निर्वाचित किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने की। अधिवेशन को संबोधित करते हुए जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि कारी सैयद मोहम्मद उस्मान के निधन के बाद अमीर-उल-हिन्द का जो स्थान रिक्त हुआ है उसको पूरा करने के लिए मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सबसे उपयुक्त हस्ती हैं। मिल्ली जरूरतों के अतिरिक्त इमारत-ए-शरिया हिंद के

कार्य को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक योग्य मार्गदर्शक की बेहद जरूरत है। मौलाना महमूद मदनी के प्रस्ताव का समर्थन मौलाना नेमतुल्लाह आजमी, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मौलाना रहमतुल्ला कश्मीरी, मौलाना सैयद असजद मदनी, मौलाना बदर अहमद, अमीर-ए-शरीयत असम आदि ने भी की। प्रारम्भ में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वृद्धावस्था के कारण उनके लिए इस भारी जिम्मेवारी को निभाना कठिन होगा। मगर बाद में विभिन्न मौलानाओं के दबाव पर उन्होंने इस जिम्मेवारी को स्वीकार लिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को शरिया के अनुसार चलाने के लिए यह जरूरी है कि उनमें शरिया को स्वीकार करने की भावना उत्पन्न की जाए।



इस समय इमारत-ए-शरिया-ए-हिंद के तहत देश में 100 से अधिक शरई अदालतें चल रही हैं। जरूरत इस बात की है कि देश के प्रत्येक जिले में एक शरई अदालत स्थापित की जाए। ताकि मुसलमान अपने मामलों का निपटारा करने के लिए देश के न्यायतंत्र से दूर रहें। उन्होंने देशभर में मदरसों की व्यवस्था का सुदृढ़ रूप से पुनर्गठित करने और मुसलमानों की नई पीढ़ी को मदरसों से जोड़ने का भी विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि ये मदरसे इस्लाम के किले हैं और यही इस्लाम की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1986 में देश में इमारत-ए-शरिया का पुनर्गठन किया गया और मौलाना मोहम्मद सज्जाद बिहारी ने पटना में इमारत-ए-शरिया को स्थापित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ना बेहद जरूरी है ताकि इस्लाम का विस्तार हो सके। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में आजकल काफी बिगाड़ पैदा हो गया है। इसको सुधारने के लिए महकमा

शरिया के तंत्र को सुदृढ़ बनाने और मुस्लिम समाज में सुधार का अभियान चलाने की बेहद जरूरत है।

### क्या है अमीर-उल-हिन्द का महत्व?

मुस्लिम समाज के लिए अमीर-उल-हिंद का विशेष महत्व होता है। मौलाना हबीबुर रहमान आजमी ने अपनी पुस्तक 'मकालत-ए-हबीब' में अमीर-उल-हिंद के कर्तव्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि अमीर-उल-हिंद वास्तव में शरा मोहम्मदी की दृष्टि से खलीफा अल-मुस्लिमीन का प्रतिनिधि होता है। इसलिए उसके निर्देशों को मानना हर मुसलमान का कर्तव्य और धर्म है। उसे इस्लाम के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इस्लाम और हिंदुस्तान के मुसलमान को लाभ हो और वह कुरान व सुन्नत के अनुसार अपना जीवन निजाम-ए-मुस्तफा के प्रकाश में व्यतीत कर सकें। हालांकि भारत के मुसलमान विभिन्न मसलकों

(फिरकों) में विभाजित हैं। अमीर-उल-हिंद का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें एकजुट रखे। मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों और इस्लाम की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों की धार्मिक, शैक्षणिक, नैतिक, आर्थिक और राजनीतिक तरक्की के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए ताकि देश में दिन-प्रतिदिन इस्लाम सुदृढ़ हो सके। अगर कोई शासक इस्लामिक शरा को लागू करने में कोई रूकावट पैदा करता है तो उसके निराकरण के लिए हर तरह का प्रयास करना जरूरी है। इमारत-उल-शरिया को सशक्त बनाने के लिए उससे संबंधित विभिन्न भागों का गठन करना आवश्यक है। जैसे-शरिया अदालत, मुस्लिम फंड, फतवे जारी करने वाला विभाग,

प्रचार व प्रसार का विभाग और रोयत-ए-हलाल कमेटी को भी अमीर-उल-हिंद को स्थापित करना चाहिए।

उर्दू के सभी समाचारपत्रों ने सयद अरशद मदनी के पांचवें अमीर-उल-हिंद निर्वाचित किए जाने के अवसर पर लगभग सभी मुस्लिम समाचारपत्रों में मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन प्रकाशित करवाए गए हैं। कोई मुस्लिम समाचारपत्र ऐसा नहीं है जिसने मौलाना अरशद मदनी की मिल्ली सेवाओं के संबंध में विशेष लेख प्रकाशित न किए हों। खास बात यह है कि नए अमीर-उल-हिंद ने अपना लक्ष्य यह निर्धारित किया है कि देश के सभी जिलों में शरई अदालतों का जाल बिछाया जाए ताकि मुसलमान अपने दीनी और शरई मामलों में देश के न्यायतंत्र की शरण में जाने की बजाय इस्लामिक अदालतों की शरण में जाएं।

## आतंकी की सहायता के लिए जमीयत उलेमा मैदान में

**इंकलाब** (8 जुलाई) के अनुसार तीन महीने पूर्व लखनऊ में पॉपुलर फ्रंट के कैंडर को प्रशिक्षण देने वाला खूंखार जिहादी संगठन आईएसआईएस के लिए भारत से कैंडर भर्ती करने के आरोप में पकड़े गए डॉ. रहीस रशीद को कानून के पंजे से बचाने के लिए जमीयत उलेमा ने अदालत का दरवाजा खटखटाय़ा है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने दावा किया कि जमीयत ने डॉ. रहीस रशीद के मुकदमे की पैरवी करने का फैसला किया है और इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की जा रही है। उन्होंने यह दावा किया कि जमीयत के प्रयासों से आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए सैकड़ों नौजवानों को अदालतें रिहा कर चुकी हैं। इससे

यह सिद्ध होता है कि पुलिस और जांच एजेंसियां बिना किसी सबूत के धार्मिक द्वेष के कारण मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लती हैं। उन्होंने मांग की कि आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं। जमीयत की कानूनी सहायता कमेटी के प्रमुख गुलजार आजमी ने कहा कि इस संदर्भ में वकील मुजाहिद अहमद ने आरोपी की रिहाई के लिए याचिका दायर की है। क्योंकि तीन महीने गुजर जाने के बावजूद भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अभी तक आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर नहीं की है। हालांकि निचली अदालत ने उन्हें चार्जशीट दायर करने के लिए तीन और महीने की अवधि प्रदान

की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने एकतरफा फैसला किया है और आरोपी के वकील को अदालत में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यूएपीए कानून के तहत जांच एजेंसियां छह महीने तक जांच कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पॉपुलर फ्रंट के प्रशिक्षण कमांडर रशोद को सिद्धार्थनगर से तब गिरफ्तार किया था जब वह मुंबई रवाना हो रहा था। उसके खिलाफ सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, राष्ट्रद्रोह और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती के पुलिस आयुक्त हेमराज मीना ने दावा किया कि हाल ही में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के जिन लोगों को एक हिंदू संगठन के पदाधिकारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ के बाद मिली जानकारी के बाद रशीद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस व्यक्ति के कब्जे से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सुपूर्द कर दिया था, जिसने केरल के कोच्चि में चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है जिनके तार आईएसआईएस नामक संगठन से जुड़े हुए थे। इस गिरोह का प्रमुख एक मलयाली नौजवान अबू याहया है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति कश्मीर से नौजवानों को भर्ती करके उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिए विदेशों में आईएसआईएस के प्रशिक्षण शिविरों में भिजवाया



करता था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार याहया बहरीन से मार्च 2020 में भारत आया था और इसके बाद वह कुछ समय तक दिल्ली में ठहरा जहां उसने कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों से संपर्क साधा और इसके बाद उसने कश्मीर से दो दर्जन से अधिक नौजवानों को युद्ध के प्रशिक्षण के लिए विदेशों में स्थित गुप्त प्रशिक्षण शिविरों में भिजवाया था। इस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरल में आठ स्थानों पर छापा मारा जिनमें कोल्लम, कन्नूर, मलप्पुरम और कासरगोड उल्लेखनीय हैं। इन छापों के बाद आईएसआईएस से जुड़े हुए पांच अन्य व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की पुलिस आयुक्त उमा बेहरा ने पत्रकारों को बताया कि इस गिरोह ने जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य भागों से 50 लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने और इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए विदेश भेजा था। खास बात यह है कि इतने खतरनाक गिरोह से जुड़े हुए लोगों को भी कानून के पंजे से बचाने के लिए जमीयत उलेमा खुले रूप से प्रयास कर रही है।

## अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ने का खतरा



अफगानिस्तान में दिन-प्रतिदिन हालत विस्फोटक होते जा रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करके उन्हें सरकारी सेनाओं से छोनने का अभियान तेज कर दिया है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगने वाली अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। 1000 अफगान सैनिकों ने तजाकिस्तान में अपन सैनिक उपकरणों सहित शरण ली है। तालिबान ने यह दावा किया है कि काबुल को छोड़कर अधिकांश देश पर उनका कब्जा हो गया है और इस समय 34 सूबों के 200 से अधिक जिले उनके नियंत्रण में हैं और अनेक स्थानों पर अफगान सैनिकों के साथ युद्ध जारी है। इस समय दो तिहाई अफगानिस्तान का क्षेत्र तालिबान के कब्जे में है। तालिबान से डर कर अफगान सैनिक पड़ोसी देशों में शरण ले रहे

तालिबान पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह विदेशी सैनिकों के पलायन के बाद अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर करें। तालिबान के प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि वह देश में शांति स्थापना के लिए लिखित समझौते के प्रारूप पर विचार कर रहे हैं। प्रवक्ता ने यह स्वीकार किया कि बातचीत नाजुक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। हम अगले महीने तक अफगान सरकार को शांति स्थापना के सिलसिले में कोई लिखित प्रारूप पेश करेंगे।

**इंकलाब** (3 जुलाई) के अनुसार अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में सबसे बड़े अपने सैनिक अड्डे बगराम हवाई अड्डे को 20 वर्षों के बाद अचानक अफगान सरकार को बताए बिना रातों-रात खाली कर दिया है। अमेरिका के सैनिक

प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान से अमेरिका अपने 90 प्रतिशत सैनिक उपकरणों को हटाकर वापस ला चुकी है और इस समय वहां पर बगराम एयरबेस पर कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि जो सैनिक उपकरण और वाहन आदि हम अपने साथ नहीं ला सकते थे वह हम वहीं छोड़ दिए हैं। खास बात यह है कि इस सैनिक अड्डे में अमेरिका ने जिन पांच हजार तालिबान फौजियों को कैदियों के रूप में रखा हुआ था वे अफगान सरकार के लिए आने वाले दिनों में सिरदर्द बन सकते हैं। बगराम से अमेरिकी सैनिकों के पलायन के बाद अफगान सेना का मनोबल बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ है और वे तालिबान से युद्ध करने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिक प्रवक्ता के अनुसार अब हमारे कुछ सैनिक काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास की रक्षा के लिए ही वहां रह गए हैं।

पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी से कहा था कि अब अफगान सरकार को अपने भविष्य का फैसला स्वयं करना होगा और विदेशी सेनाओं के पलायन से जो स्थिति पैदा होगी उससे स्वयं ही निपटना होगा। पिछले वर्ष अमेरिका और तालिबान के बीच जो समझौता हुआ था उसके तहत विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान से वापस अपने देशों को जा रही हैं और 11 सितंबर तक विदेशी सैनिक पूर्ण रूप से अफगानिस्तान को खाली कर देंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका द्वारा बगराम हवाई अड्डे को खाली करने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे

अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

**सियासत** (8 जुलाई) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने इस बात की पुष्टि की है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के अनेक सुबाई राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों ने अचानक अपने अड्डों को खाली किया है उससे अफगान सैनिक बौखला गए हैं। क्योंकि उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी अफगानिस्तान को अमेरिकी सैनिक छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय 100 से अधिक जिलों में अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष चल रहा है। तालिबान ने अनेक प्रदेशों के सरकारी दफ्तरों, पुलिस हेडक्वार्टर और गुप्तचर विभाग के कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है।

बादगीस के गवर्नर हिसामुद्दीन शम्स ने मीडियाकर्मियों को बताया कि तालिबान उनकी राजधानी में दाखिल हो चुके हैं और कई जगहों पर युद्ध हो रहा है। एक अन्य सरकारी प्रवक्ता अब्दुल अजीज बेग ने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 100 अफगान सैनिकों ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।

**सियासत** (2 जुलाई) के अनुसार तालिबान ने गजनी पर कब्जा करने के लिए एक बड़ा हमला शुरू कर दिया है। उनकी सेनाएं विभिन्न दिशाओं से नगर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। गजनी को कंधार से मिलाने वाले मुख्य सड़क पर कब्जा करने के लिए दोनों पक्षों में जबर्दस्त झड़पें हो रही हैं। अमेरिकी कमांडर जनरल स्कॉट ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर तालिबान ने युद्ध बंद नहीं किया तो वे हवाई हमलों के लिए तैयार रहें। उन्होंने दावा किया कि




हालांकि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया है मगर वे तालिबान पर विमानों के हमले करने और उन्हें कुचलने की पूरी क्षमता

रखते हैं। अफगानी मीडिया के अनुसार 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद पूरी जर्मन सेना वापस स्वदेश लौट गई है।

## पाकिस्तान द्वारा बलूच पृथकतावादियों से वार्ता

कौमी तंजीम (11 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने बलूच पृथकतावादियों से बातचीत शुरू करने के जोरदार प्रयास शुरू कर दिए हैं। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के कारण प्रधानमंत्री इमरान खान को इस बात का खतरा है कि बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन और अधिक सक्रिय होकर पाकिस्तान सरकार की नींद हराम कर सकता है। इमरान खान ने बलूच पृथकतावादियों से वार्ता शुरू करने के लिए बलूचिस्तान के पूर्व गृहमंत्री सरफराज बुगती और अनवर उल हक काकर का सहारा लिया है। समाचारपत्र 'डॉन' के अनुसार इमरान खान ने बलूचिस्तान में शांति स्थापना और विकास की गति तेज करने के लिए वहां के नेताओं से सहयोग मांगा है। पृथकतावादी नेताओं से बातचीत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसका संयोजक जम्हुरी वतन पार्टी (जेडबल्यूपी) के प्रमुख शाहजैन बुगती को बनाया गया है और उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे सरकार की ओर से पृथकतावादी तत्वों से वार्ता शुरू करें। हाल ही में इमरान खान ने गोदावर के दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि वे बलूचिस्तान के विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने यह संदेह व्यक्त किया है कि बलूच विद्रोहियों के तार भारत से जुड़े हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ



अल्वी ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की भूमि से बलूचिस्तान और पाकिस्तान में ज्वाला भड़का रहा है।

**टिप्पणी :** पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान के केन्द्रीय शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। जब क्लगत रियासत के खान ने पाकिस्तान में अपनी रियासत को विलय करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान की क्लगत रियासत पर जबरन कब्जा कर लिया था। तब से पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ वहां पर विद्रोह की ज्वाला सुलग रही है। इस अशांति को देखते हुए पाकिस्तान के 1973 के संविधान में इस बात का आश्वासन दिया गया था कि बलूचों को आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। मगर आज तक इस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया। बलूचों ने चीन के साथ पाकिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों का भी विरोध किया है। गत तीन वर्षों में पाकिस्तानी और चीनियों पर 48 बड़े हमले

करके 242 सैनिकों और इंजिनियरों की हत्या बलूच विद्रोहियों द्वारा की जा चुकी है। इस समय वहां पर मुख्य रूप से तीन विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। इनमें से मुख्य बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन गार्ड और बलूच लिबरेशन फ्रंट शामिल हैं। प्रारम्भ में बलूच विद्रोहियों की कमान अकबर बुगती और बलाच मारी के हाथों में थी। कहा जाता है कि इनके नेतृत्व में तीन हजार सशस्त्र विद्रोही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्षशील थे। जनरल मुशर्रफ के शासनकाल में पाकिस्तान ने इन विद्रोहियों को कुचलने के लिए दो ब्रिगेड सैनिक वहां भेजे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने अकबर

बुगती सहित 5000 से अधिक बलूचों की हत्या कर दी। मगर इसके बावजूद बलूच विद्रोही आज तक सक्रिय हैं। गत महीने बलूच लिबरेशन आर्मी के 500 सशस्त्र लड़ाकुओं ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला करके 21 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी थी। पिछले महीने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र असेंबली के बाहर बलूचों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन का आयोजन करके संयुक्त राष्ट्र असेंबली से मांग की थी कि वह बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे नरसंहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे।

## पाकिस्तान अफगानिस्तान शरणार्थियों के दाखिले से परेशान



**इंकलाब** (12 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के शरणार्थियों द्वारा घुसपैठ की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने कहा कि इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के 90 प्रतिशत भागों को कांटेदार तारों से

बंद कर दिया गया है। क्योंकि हमें इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए वहां से अफगान नागरिकों के भारी संख्या में पाकिस्तान में शरण लेने की संभावना है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तसनीम असलम ने कहा कि पाकिस्तान को इस बात की भी चिंता है कि

आतंकवादी शरणार्थियों क वेष में पाकिस्तान में दाखिल होकर कहर बरपा सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में मादक पदार्थ और अस्त्र-शस्त्रों की तस्करी में भी वृद्धि हो सकती है।

**हमारा समाज** (9 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर राजनीतिक समाधान में अपनी भूमिका अदा करेगा ताकि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो सके। इमरान खान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में शांति स्थापित नहीं हुई तो पड़ोसी देशों को आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के साथ-साथ अफगान शरणार्थियों की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों का पलायन जारी है। दूसरी ओर अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पिछले वर्ष से दोहा में जो वार्ता चल रही थी वह ठप है। हिंसा की बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण अफगानिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अपील की कि वे अफगानिस्तान की समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि अफगानिस्तान की समस्या के

समाधान के लिए तालिबान से भी बातचीत की जाए। हाल ही में पाकिस्तान के सेनाधिकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा समिति की बैठक में रिपोर्ट पेश करते हुए यह खतरा व्यक्त किया था कि विदेशी सैनिकों के पलायन के बाद अफगानिस्तान में भड़कने वाले युद्ध के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है और पाकिस्तान को शरणार्थियों की नई बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों के आयुक्त सलीम खान ने कहा कि हम सतर्क हैं। अगर अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में आते हैं तो उनका अस्थायी रूप से बसाने के लिए हम विभिन्न योजनाओं पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में अभी से तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान में तीस-चालीस लाख अफगानिस्तान के शरणार्थी रह रहे हैं और अधिक शरणार्थियों के लिए पाकिस्तान में आवास की व्यवस्था करना कठिन होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोन पर अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में चिंता प्रकट की है और कहा है कि वहां पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो इससे ईरान और अफगानिस्तान दोनों को भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

## नाइजीरिया में स्कूल पर इस्लामिक आतंकवादियों का हमला

**सहाफत** (8 जुलाई) के अनुसार नाइजीरिया में सशस्त्र इस्लामिक आतंकियों ने हमला करके कम-से-कम 140 छात्रों को अपहरण कर लिया है। जिस स्कूल पर हमला किया गया है

वह ईसाई स्कूल है आर वह नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से 80 किलोमीटर दूर कादुना नगर में स्थित है। एक छात्रा की मां ने बताया कि भारी संख्या में आतंकवादी मोटर साइकिलों



पर सवार होकर स्कूल पर पहुंचे थे और उन्होंने स्कूल के सुरक्षा गार्डों की हत्या करने के बाद बच्चों को बंधक बना लिया और उन्हें छात्रावास से जबरन अपहरण करके जंगल में ले गए। सरकारी सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में एक महिला टीचर और अन्य 26 लोगों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचाया है।

मीडिया के अनुसार आतंकवादी स्कूलों और विश्वविद्यालयों से छात्रों का अपहरण फिरौती वसूल करने के लिए कर रहे हैं। इससे पूर्व जारिया नामक एक अस्पताल पर छापा मारकर आठ व्यक्तियों का अपहरण किया गया था, जिनमें दो नर्स भी शामिल हैं। इस ईसाई

स्कूल के संचालक ने इस बात की पुष्टि की है कि 180 बच्चों का अपहरण किया गया है। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं जानते कि अपहरण करने वाले कौन हैं? नाइजीरिया सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनकी सेना बच्चों और उन्हें अपहरण करने वालों का सुराग लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। गत एक वर्ष में एक हजार बच्चों का अपहरण किया जा चुका है। इनमें तीन वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इन अपहरणकर्ताओं का संबंध आतंकवादी संगठन बोको हराम से है, जिसके तार अलकायदा नामक इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए हैं।

## पाकिस्तान और तालिबान चीनी मुसलमानों के उत्पीड़न के समर्थन में

पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने चीन के तुष्टीकरण के लिए अपने मिल्लत प्रेम का गला घांट दिया है।

**इत्तेमाद** (11 जुलाई) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि वे चीन को अपना दोस्त समझते हैं इसलिए वे शिंजियांग के उइगर लड़ाकुओं का समर्थन नहीं करेंगे। चीन सरकार के अनुसार अलकायदा चीनी उइगर मुसलमानों को भड़का रहा है और वह चीन में मुस्लिम बहुल स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाहता है। इस विद्रोह को कुचलने के लिए चीन सरकार विद्रोही उइगर मुसलमानों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल कर रही है और 50 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को नजरबंदी कैपों में बंद कर रखा है।

**रोजनामा सहारा** (2 जुलाई) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उइगर मुसलमानों के बारे में इस्लामिक जगत और चीन का दृष्टिकोण भिन्न है और हम इस मुद्दे पर चीनी सरकार का समर्थन करते हैं। विश्व भर में यह आरोप लगाया जा रहा है कि चीन ने 50 लाख उइगर मुसलमानों को विशेष नजरबंदी शिविरों में कैद कर रखा है जहां उनका ब्रेनवाश करके उन्हें इस्लाम की शिक्षाओं और पैगम्बर से दूर किया जा रहा है। चीन के इस रवैये के खिलाफ विश्वभर के इस्लामिक मुल्कों और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक बार विरोध प्रकट किया जा चुका है। पश्चिमी देशों की मीडिया का यह भी दावा है कि उइगर मुसलमानों के बच्चों और किशोरों को उनके परिवारजनों से छीनकर विशेष नजरबंदी शिविरों में बंदी बनाकर रखा जा रहा है। चीन ने यह स्वीकार किया है कि इन मुसलमानों को विशेष विचारधारा के अनुरूप ढालने के लिए उन्हें इन प्रशिक्षण शिविरों में रखा जा रहा है। जबकि पश्चिमी मीडिया का यह दावा है कि ये एक

प्रकार से नजरबंदी शिविर हैं और इनमें जबरन मुसलमानों को इस्लामिक परंपराओं और इस्लामिक पूजा पद्धतियों से दूर किया जा रहा है ताकि उनकी मानसिकता को चीनी कम्युनिस्ट विचारधारा के अनुरूप ढाला जा सके।

इमरान खान ने पत्रकारों से कहा कि शिंजियांग क्षेत्र में बनाए गए उइगर मुसलमानों के शिविरों के बारे में पश्चिमी मीडिया और चीन के दृष्टिकोण में भारी अंतर है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि चीन के सहयोग से जो पाकिस्तान और चीन गलियारे का निर्माण किया गया है वह पाकिस्तान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि जल्द वे ग्वादर का दौरा करके वहां पर चीन के सहयोग से बनाए जा रहे विशाल बंदरगाह का निरीक्षण करेंगे ताकि इस परियोजना के विकसित करने के बाद पाकिस्तान और चीन में आर्थिक विकास का नया युग शुरू हो सके। उन्होंने कहा कि हम चीनी उद्योगों को विकसित करने के लिए पाकिस्तान में सभी सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीन भारी मात्रा में पूंजी निवेश कर रहा है। क्योंकि हमारे यहां सस्ते मजदूर उपलब्ध हैं। इस पूंजी निवेश और नए उद्योगों की स्थापना से पाकिस्तान का न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के नए क्षेत्र भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के संबंध एक विशेष तरह के हैं। चीन ने हर मुश्किल घड़ों में हमारा साथ दिया इसलिए चीनियों के लिए पाकिस्तानियों के दिल में विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पश्चिमी देश के बंधुआ मजदूर नहीं हैं जो कि हम चीन के मुकाबले में अमेरिका का साथ दें। हमारे लिए अपने हित सर्वोपरि हैं।

## संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में मतभेद



हिंदुस्तान एक्सप्रेस (10 जुलाई) के अनुसार दुनिया में तेल के दो बड़े उत्पादक देशों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में तेल के उत्पादन के कोटे को लेकर जो मतभेद पैदा हुए थे उसके कारण पेट्रोलियम उत्पादक देशों के सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया है। इसके कारण विश्व में तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के संगठन जिसमें रूस जैसे देश भी शामिल हैं को अपने सम्मेलन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा है। ये मतभेद उस समय शुरू हुए जब संयुक्त अरब अमीरात ने इस सम्मेलन के दो देशों सऊदी अरब और रूस के इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया कि तेल के उत्पादन की जो सीमा तय की गई है उसमें अगले छह महीने तक की ही वृद्धि की जाए। मगर संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल के उत्पादनों को बढ़ाना चाहता था। उसका आग्रह था

कि उसे तेल की पैदावार में कुछ वृद्धि करने की अनुमति दी जाए। सऊदी अरब और रूस इसके खिलाफ थे। इसके कारण दोनों देशों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार गत कुछ वर्षों में अबूधाबी ने अपने देश में तेल की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। अब वह इस धनराशि की पूर्ति तेल के उत्पादन को बढ़ाकर करना चाहता है। मगर सऊदी अरब अपने तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोनों देशों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। हाल ही में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शहजादा मोहम्मद जायेद के बीच जो संबंधों में सुधार हुआ था उसे इस गतिरोध के कारण धक्का पहुंचा है। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों

के खिलाफ युद्ध करने के लिए 2015 में एक अरब सैनिक एकता स्थापित की थी और सऊदी अरब के दबाव पर 2017 में कतर पर राजनयिक व्यापारिक और यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा दिए थे। मगर दो वर्ष पूर्व इन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जब संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपनी अधिकांश सेना वापस बुला ली। सऊदी अरब ने इसे पसंद नहीं किया। इन दोनों देशों के संबंधों में उस समय भी खटास आई जब सऊदी अरब के दबाव के कारण संयुक्त अरब अमीरात को कतर पर लगाई गई पाबंदियों को वापस लेना पड़ा। हाल

ही में संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच बढ़ते हुए संबंधों के कारण भी सऊदी अरब खुश नहीं है। सऊदी सरकार ने इस वर्ष के फरवरी महीने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वे अपन मुख्यालय 2024 तक सऊदी अरब में खोलें। जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी उन्हें सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। उनके इस फैसले का विरोध संयुक्त अरब अमीरात ने किया है और उसका कहना है कि उनका यह फैसला उसके व्यापारिक हितों के खिलाफ है।

## संयुक्त अरब अमीरात में इजरायल का दूतावास

**इंकलाब** (1 जुलाई) के अनुसार इजरायल के विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने पहले दूतावास का उद्घाटन किया है। इजरायल के विदेश मंत्री अबूधाबी पहुंचे थे जहां उनका स्वागत संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री ने किया। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि पश्चिम एशिया हमारा घर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के नजदीक आएँ और बातचीत करके समस्याओं का समाधान करें।

दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा हुई थी। इसके बाद यह किसी इजरायलो मंत्री का पहला दौरा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात में इजरायल के पहले दूतावास के खोले जाने का स्वागत किया है और कहा है कि इससे पश्चिम एशिया में अमन और स्थिरता पैदा करने में सहायता मिलेगी। पिछले वर्ष अमेरिका के पूर्व



राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयासों से इजरायल ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान, मोरक्को और कोसोवा में दूतावास स्थापित करने का फैसला किया था। इस सिलसिले में पहला दूतावास संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। इस्लामिक जिहादी संगठन हमास ने अबूधाबी में इजरायलो दूतावास स्थापित करने की निंदा की है और कहा है कि यह फिलिस्तीनी जनता के साथ गद्दारी है। संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में इजरायल द्वारा ढाई सौ फिलिस्तीनियों की शहादत को भूल गया है। उसका यह कदम अरब एकता के खिलाफ है।

## सऊदी अरब द्वारा चार देशों के सफर पर प्रतिबंध



**इंकलाब** (5 जुलाई) के अनुसार कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव के कारण सऊदी सरकार ने इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और अफगानिस्तान के यात्रियों के सऊदी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन लोगों पर भी होगा जो चौदह दिनों से इन देशों में रह रहे हैं। इससे पूर्व सऊदी अरब पाकिस्तान सहित 20 देशों के यात्रियों पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। जिन देशों की यात्रियों पर प्रतिबंध लगा है उनमें मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड,

इटली, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जापान और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के यात्रियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान के विमानन मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जो पाकिस्तानी यात्री इन देशों में फंस गए हैं उन्हें विदेश वापस लाने के लिए पाकिस्तान की ओर से विशेष विमान सेवाएं प्रारंभ की जा रही हैं।

## बिना अनुमति पवित्र स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध

**इनेमाद** (6 जुलाई) के अनुसार सऊदी सरकार ने यह घोषणा की है कि काबा और हज से संबंधित मस्जिद-ए-नबवी और अराफात आदि स्थानों पर बिना अनुमति जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हज के दौरान काबा और हज से संबंधित अन्य स्थानों की यात्रा सिर्फ वही लोग

कर सकेंगे जिनके पास विशेष अनुमति पत्र होंगे। यह प्रतिबंध 5 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक लागू होगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को दस हजार सऊदी रियाल जुर्माना अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त उनके खिलाफ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। सऊदी अरब के





गृहमंत्रालय ने इससे पहले ही विदेशियों की हज यात्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा चुका है। सिर्फ सऊदी नागरिकों को ही इस वर्ष हज यात्रा करने की अनुमति होगी। हज यात्रा करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने कोरोना का वैक्सीन लगवा रखा होगा। हज करने के इच्छुक लोगों से पहले ही ऑनलाइन प्रार्थना पत्र तलब किए जा चुके हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोरोना

महामारी की भीषणता को देखते हुए सिर्फ साठ हजार लोगों को ही हज करने के लिए अनुमति पत्र जारी किए गए हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति को बिना अनुमति के हज से संबंधित पवित्र स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। सऊदी सरकार इस संदर्भ में सख्त पहरे की व्यवस्था कर रही है। गृहमंत्रालय ने यह आशा व्यक्त की है कि सभी सऊदी नागरिक इस पाबंदी का पालन करेंगे।

## सीरिया में प्रभाव बढ़ाने में रूस और ईरान में प्रतिद्वंद्विता

सियासत (1 जुलाई) के अनुसार सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में रूस और ईरान के बीच कट्टर प्रतिद्वंद्विता चल रही है। इस वर्ष के प्रारम्भ में फारसी भाषा को सीरिया के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे पूर्व वहां यह स्थान रूसी भाषा को प्राप्त था। सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने में रूस और ईरान में जबर्दस्त होड़ लगी हुई है। दोनों का यह प्रयास है कि उनके संबंध सीरिया

के साथ सुदृढ़ हों। इसलिए दोनों देश सीरिया को आर्थिक और सैनिक सहायता प्रदान करने में जुटे हुए हैं। गत कई दशक से सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास ईरान और रूस दोनों कर रहे हैं। ईरान ने सीरिया को भारी मात्रा में सैनिक सहायता भी प्रदान की है और वहां पर ईरान की मिलिशिया कुर्द विद्रोहियों का मुकाबला करने में सीरिया की सरकार को सहायता दे रही है।

## मस्जिद को गिराना गैरकानूनी?



**इंकलाब** (4 जुलाई) के अनुसार बाराबंकी जिले की तहसील राम सनेही घाट पर स्थित गरीब नवाज मस्जिद को गिराए जाने को उच्च न्यायालय ने गैरकानूनी कार्रवाई की संज्ञा दी है और वहां के दारोगा को जबर्दस्त फटकार लगाई है और उसे 22 जुलाई को न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि मस्जिद को इस तरह से गिराया जाना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि यह उच्च न्यायालय के निर्णय का भी खुला उल्लंघन है। यह निर्देश वासिफ हुसैन और अन्य याचियों की याचिका पर दिया गया है। न्यायालय में याचियों की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए और एक अन्य वकील सारिम

नावेद भी न्यायालय में मौजूद थे। कपिल सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने न्यायालय की अवमानना करते हुए यह कार्रवाई की है जो कि गैरकानूनी और गैरजरूरी है। उन्होंने न्यायालय में पुराने निर्देशों से संबंधित दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि एसडीएम और एसएचओ ने न्यायालय के निर्देश को नजरअंदाज करते हुए इस मस्जिद को गिराया है और इससे संबंधित सभी दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिनमें बिजली का बिल और वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी शामिल है जो कि इस मस्जिद की कानूनी इमारत होने की पुष्टि करता है।

प्रशासन के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ऑल

इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाराबंकी जिला के दो नागरिक हशमत अली और नईम भी शामिल हैं। सुन्नी बोर्ड की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। जबकि पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से युसूफ मुछला पेश हुए। इस मस्जिद को 17 मई को एसडीएम दिव्यांशु पटेल की निगरानी में ध्वस्त कर दिया गया था। जबकि उच्च न्यायालय ने अप्रैल महीने में यह निर्देश दिया

था कि 31 मई तक राज्य में किसी भी मकान, इमारत, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को न गिराया जाए। प्रशासन का दावा है कि यह मस्जिद गैरकानूनी थी। क्योंकि वह सरकारी जमीन पर गैरकानूनी ढंग से बनाई गई थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अनुसार यह मस्जिद सौ वर्ष पुरानी है। न्यायालय ने एसडीएम और राज्य के प्रमुख सचिव को भी न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया।

## हाफिज मोहम्मद साबरीन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक नियुक्त



**इंकलाब** (10 जुलाई) के अनुसार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली की कमान एक बार फिर हाफिज मोहम्मद साबरीन को सौंप दी गई है। नई नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए हाफिज ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने उनके कार्य को न सिर्फ सराहा है बल्कि उनके काम से प्रभावित होकर एक बार फिर दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कमान उनको सौंप दी है। उन्होंने कहा कि पिछले

दिनों ख्वाजा इफ्तिखार की पुस्तक को लेकर वे दिल्ली और बाहर के अनेक स्थानों पर गए थे और इस पुस्तक को अनेक लोगों में बांटा। इस पुस्तक के कारण संघ और भाजपा के बारे में मुसलमानों के दिलों में बैठी हुई अनेक भ्रांतियां दूर हो गई हैं। इंद्रेश कुमार स्पष्ट रूप से यह संदेश दे चुके हैं कि भारत के देशभक्त मुसलमानों को देश में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। गत दिनों पांच दिवसीय कार्यक्रम के सिलसिले में संघ प्रमुख

मोहन भागवत ने मुसलमानों के बारे में जो संदेश देश को दिया था उसे मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाने की जरूरत है। वह हिंदू ही नहीं है जो मुसलमानों पर हमला करे। भागवत जी के इस बयान पर कुछ लोगों का पारा गरम है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का डीएनए एक है। हालांकि यह बात साफ है कि इस देश के सभी लोगों का डीएनए एक समान है। जो लोग देश में मुसलमान

बने वे यहीं के लोग थे। इसलिए जब भी कोई हिंदुस्तानी धर्मांतरण कर लेता है तो उसका डीएनए कैसे बदल सकता है? यह ऐसा सवाल है जिसे समझने की जरूरत है। लोगों को चाहिए कि वे हकीकत को मानना सीखें और इस बात को नजरअंदाज न करें कि हम सब आपस में भाई-भाई हैं। भले हमारा संबंध किसी भी मजहब से हो मगर हमारा खून एक है।

## मुख्तार अब्बास नकवी को बर्खास्त करने की मांग


सियासत (9 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सदस्य हाफिज नौसाद अहमद आजमी ने मांग की है कि हज के कुप्रबंध के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तत्काल केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नकवी 2016 में हज मंत्री बने थे। तब से लेकर अब तक 2002 के हज एक्ट का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। एक वर्ष से केन्द्रीय हज कमेटी का गठन नहीं किया गया है। जबकि अनेक राज्यों में भी हज समितियों का गठन नहीं किया गया। आजमी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 में एयर इंडिया को दी जाने वाली हज सब्सिडी को 2022 तक समाप्त करने का निर्देश दिया था और कहा था कि 685 करोड़ रुपये मुसलमान छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। नकवी ने 2017 में हज सब्सिडी को समाप्त करने की घोषणा तो कर दी



मगर छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर एक पैसा खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में विस्तृत रूप से एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था और यह मांग की थी कि हज कमेटी को पहले की तरह विदेश मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। मगर उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी को अगर तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया तो वे देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे।

## ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर

**इंकलाब** (2 जुलाई) के अनुसार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सिविल जज के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार की याचिका दायर की है। बोर्ड का तर्क है कि इस तरह का निर्णय करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह संसद में 1991 में पारित उस कानून का खुला उल्लंघन है जिसमें यह तय किया गया था कि 1947 में विभिन्न धार्मिक स्थानों की जो स्थिति है उसे यथावत रखा जाएगा। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने एक याचिका के सिलसिले में यह निर्देश दिया था कि पुरातत्व विभाग ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई करके इस बात का पता लगाए कि उसकी असली स्थिति क्या है? बोर्ड का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को जब यह देश आजाद हुआ था तो उस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद के मालिक मुसलमान थे और यह आज तक उनका उपासना स्थल है। इसलिए न्यायालय को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह कोई कमेटी बनाकर इस मस्जिद की खुदाई कराए। बोर्ड का दावा है कि यह मस्जिद 1669 में



औरंगजेब ने बनवाई थी। अगर उसमें खुदाई की गई तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वाराणसी के सिविल जज आशुतोष तिवारी ने 8 अप्रैल को यह निर्णय दिया था कि एक पांच सदस्यीय कमेटी की निगरानी में पुरातत्व विभाग अपने खर्चे पर इस मस्जिद की खुदाई कराकर यह पता लगाए कि क्या यह मस्जिद काशी विश्वनाथ के मंदिर का गिराकर तो नहीं बनवाई गई है? उन्होंने इस कमेटी में दो मुसलमान, दो हिंदू और एक पुरातत्ववेत्ता को शामिल करने की हिदायत दी थी। अब उस फैसले को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी है।

## जमात-ए-इस्लामी की शरिया काउंसिल वेबसाइट


**इंकलाब** (8 जुलाई) के अनुसार जमात-ए-इस्लामी हिंद की शरिया काउंसिल की वेबसाइट का प्रारम्भ जमात-ए-इस्लामी की मुख्यालय में जमात के अमीर सआदतुल्लाह हसनी ने किया। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के शुरू होने से मुसलमान शरई मामलों में घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व शरई मामलों में जानकारी देने के लिए दो

इस्लामिक वेबसाइट सक्रिय हैं जो कि दारूल उलूम देवबंद और इस्लाम (क्यूए) से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि जमात-ए-इस्लामी ने शरिया काउंसिल की स्थापना दो वर्ष पूर्व की थी। शरिया काउंसिल के प्रमुख मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने कहा कि इस वेबसाइट पर फतवे और इस्लाम से संबंधित साहित्य विश्व भर के मुसलमानों के लिए उपलब्ध रहेगा।

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 12    14-30 सितंबर 2017    पृ. 200

**देश में फैला धर्मांतरण का मकड़जाल**




- धर्मांतरण के लिए विदेशी धर्म
- धर्मांतरण के लिए विदेशी धर्म
- धर्मांतरण के लिए विदेशी धर्म
- धर्मांतरण के लिए विदेशी धर्म

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 11    1-15 सितंबर 2017    पृ. 200

**सैट्रल चिरमा परियोजना के कारण चार मस्जिदों पर विवाद**




- मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए विवाद
- मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए विवाद
- मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए विवाद
- मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए विवाद

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 10    1-15 सितंबर 2017    पृ. 200

**पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक**




- पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक
- पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक
- पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक
- पश्चिम एशिया में स्थिति विस्फोटक

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 9    14-30 अक्टूबर 2017    पृ. 200

**कुरान में संशोधन की याचिका खारिज**




- कुरान में संशोधन की याचिका खारिज
- कुरान में संशोधन की याचिका खारिज
- कुरान में संशोधन की याचिका खारिज
- कुरान में संशोधन की याचिका खारिज

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 7    1-15 अक्टूबर 2017    पृ. 200

**विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे**




- विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे
- विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे
- विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे
- विवादित ज्ञानवापी मस्जिद का होगा पुरातात्विक सर्वे

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 6    14-30 सितंबर 2017    पृ. 200

**बादला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत**




- बादला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत
- बादला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत
- बादला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत
- बादला हाउस मुठभेड़ के दोषी को सजा-ए-मौत

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 5    1-15 सितंबर 2017    पृ. 200

**कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा**



- कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा
- कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा
- कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा
- कुरान से विवादित आयतों को हटाने की मांग पर हंगामा

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 4    14-30 अक्टूबर 2017    पृ. 200

**पापुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप**




- पापुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप
- पापुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप
- पापुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप
- पापुलर फ्रंट पर दंगे भड़काने की साजिश का आरोप

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

अंक 4    अंक 3    1-15 अक्टूबर 2017    पृ. 200

**पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी फिर विवादों में**



- पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी फिर विवादों में
- पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी फिर विवादों में
- पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी फिर विवादों में
- पूर्व उपराष्ट्रपति हमिद अंसारी फिर विवादों में



भारत नीति प्रतिष्ठान  
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016  
दूरभाष : 011-26524018 • फ़ैक्स : 011-46089365  
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com  
वेबसाइट : www.ipf.org.in